राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **रवदीप सिंह**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2438—एक / 13 विरूद्ध आदेश दिनांक 24—4—2013 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, होशंगाबाद प्रकरण कमांक 1 / अ—6 अ / 2008—09.

अनूप दुबे आत्मज ब्रजकिशोर दुबे
निवासी हाऊसिंग बोर्ड कॉलौनी, होशंगाबाद
तहसील व जिला होशंगाबाद ....आवेदक

विरूद्ध

1— अवध नारायण दुबे आत्मज दामोदर प्रसाद दुबे
निवासी सुगम नगर, 190 बी, इंदौर
तहसील व जिला इंदौर
2— म.प्र. शासन ....अनावेदकगण

श्री एन.के. तिवारी, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::
(पारित दिनांक 14 अगस्त, 2014)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू—राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 24—4—2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष संहिता की धारा 113 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम बम्हनगांव कलां तहसील व जिला होशंगाबाद स्थित भूमि सर्वे कमांक 73/1 रकबा 3.25 जो वर्तमान में खसरा नम्बर 73/3 रकबा 0.206 हेक्टयर सर्वे क्रमांक 73/5 रकबा 0.372 हेक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक 73/6 रकबा 0.737 हेक्टेयर पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 25-5-78 से आवेदक एव उसकी दादी चंद्रभागा बाई के नाम से क्रय की गई है । इस प्रकार आवेदक उक्त भूमि का भूमिस्वामी है, और विक्रय पत्र दिनांक 25-5-78 के आधार पर प्रश्नाधीन भूमियों पर आवेदक का नाम भी दर्ज हो गया था । चूंकि आवेदक शासकीय नौकरी में था, इसलिए वह अपने पिता एवं भाई से कृषि कार्य कराता था । आवेदक को उसके भाई से ज्ञात हुआ कि पटवारी रिकार्ड में उक्त भूमि किसी अन्य व्यक्ति के नाम से दर्ज हो गई है, जिसकी जानकारी आवेदक को दिनांक 16-5-2008 को हुई, तब उसके द्वारा खसरा तथा किश्तबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, और दिनांक 26-5-2008 को उसे प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हुई । इस प्रकार उसके द्वारा बिना विलम्ब किए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, अतः पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर प्रश्नाधीन भूमियों पर आवेदक के पक्ष में वर्ष 1980 में हुए नामांतरण को यथावत रखते हुए वर्ष 1988-89 में हुई त्रुटि के कारण दर्ज अवधनारायण का नाम विलोपित करके उसके स्थान पर पूर्ववत अनूप कुमार दुबे एवं चंद्रभागा बाई का नाम दर्ज किया जाये । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 15-7-2009 को आदेश पारित कर आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर प्रश्नाधीन भूमियों पर से अनावेदक अवधनारायण दामोदर का नाम विलोपित किया जाकर आवेदक अनूप दुबे एवं चंद्रभागा दुबे का नाम दर्ज किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से व्यथित होकर अनावेदक द्वारा प्रथम अपील कलेक्टर, होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर कलेक्टर द्वारा दिनांक 21-12-2009 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा जाकर अपील निरस्त की गई । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत की गई । आयुक्त द्वारा दिनांक 6-11-2012 को आदेश पारित कर कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त किए गए तथा प्रकरण संहिता की धारा 30 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, होशंगाबाद को प्रेषित कर निर्देशित किया गया कि प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर विधि

अनुसार निराकरण किया जाये । प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 24–4–2013 को अंतरिम आदेश पारित कर अभिलेख को पूर्व स्थिति में लाये जाने का आदेश देकर यह भी आदेशित किया गया कि अनावेदक भूमि के स्वरूप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन अथवा विक्रय/रहन आदि नहीं करेंगे । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाए गए हैं :–

(1) संहिता की धारा 30 अधीनस्थों को तथा उनके वास्ते मामले अंतरित करने की शक्ति से संदर्भित है । संहिता की धारा 30 (2) के अंतर्गत जिस मामले का विनिश्चय हो चुका हो, उस मामले को अंतरित करने की शक्ति आयुक्त को नहीं है ।

(2) प्रशासनिक कार्य संहिता की व्याप्ति में बहुत कम है, जहां किसी विषय में स्पष्ट नियम है, वहां एसे निर्देश व्यर्थ होंगे, क्योंकि उस दशा में प्राथमिकता नियमों को दी जावेगी । संहिता की व्यवस्थित व्यवस्था है ।

(3) संहिता सशोधित अधिनियम, 2011 की धारा 49 की उपधारा 3 में स्पष्ट प्रावधान है कि पक्षकारों को सुनने के पश्चात अपील प्राधिकारी उस आदेश की जिसके विरूद्ध अपील की गई है, पुष्टि कर सकेगा, उसमें फेरफार कर सकेगा या उलट सकेगा या ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा, जैसा कि आदेश पारित करने के लिये आवश्यक समझे । परन्तु अपील प्राधिकारी उसके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी के द्वारा मामले के निपटारे के लिये प्रतिप्रेषित नहीं करेगा, इसके उपरांत भी आयुक्त द्वारा प्रकरण को प्रेषित किया गया है । अतः आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–11–2012 अधिकारिता विहीन आदेश है ।

(4) अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 15–7–2009 से अवधनारायण द्वारा पुनर्विलोकन, अपील द्वितीय अपील, प्रस्तुत कर आदेश पारित कराये, जिसमे 5 वर्ष की समयावधि व्यतीत हुई, किन्तु उसके द्वारा उनके पक्ष समर्थन में न तो कोई युक्तियुक्त दस्तावेज प्रस्तुत किये, और न ही कोई साक्ष्य अंकित कराई, ऐसी स्थिति में उन्हे साक्ष्य का

अवसर दिया जाना विधिसंगत नही है । यदि ऐसी स्थितियों मे अवसर दिया जाता है तो प्रकरण का कभी निपटारा किया जाना संभव नहीं होगा ।

(5) अवधनारायण ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष एक पंजी की 5 वर्ष पश्चात फोटोप्रति प्रस्तुत की है, जो तथाकथित एवं विधि विरूद्ध है, जिसकी पुलिस अधीक्षक, होशंगाबाद के समक्ष फर्जी होने की शिकायत सिर्फ आवेदक द्वारा की गई है एवं 24 घंटे के अंदर उक्त फर्जी फोटोप्रति की अपील प्रस्तुत की गई है, जो अभिलेख पर उपलब्ध है ।

(6) अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आयुक्त के द्वारा उक्त प्रकरण प्रेषित किया गया है, जिसमें दिनांक 26–12–12, 18–1–13, 6–2–13, 22–2–13, 1–3–13, 22–3–13, 10–4–13 तथा दिनांक 24–4–13 को आदेश पारित किये गये हैं, जिनमें न तो कोई साक्ष्य ली गई, न ही आवेदक के अधिवक्ता अथवा आवेदक को सुना गया, मात्र अनावेदक के अधिवक्ता के व्यक्त किए जाने से आवेदक का नाम शासकीय अभिलेख से निरस्त करने का आदेश आवेदक के अधिवक्ता के तर्कों को ठुकराकर दिया गया है, जो सर्वथा विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।

(7) उक्त आदेश दिनांक 24–4–13 की कंडिका 3 में अनावेदक के अधिवक्ता के स्थान पर आवेदक टाईप किया गया है तथा आदेश दिनांक 15–7–09 के स्थान पर दिनांक 15–7–07 टाईप किया गया है तथा कंडिका 13 के पैरा की तीसरी लाईन में निगरानी का उल्लेख किया है, जबकि कलेक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी । आयुक्त द्वारा अनावेदक को अवसर देकर प्रकरण का निराकरण करने के लिए निर्देशित किया गया है, उनके आदेश की अवहेलना करते हुए बिना अवसर दिये तहसीलदार डोलरिया द्वारा रिकार्ड को पूर्ववत किए जाने के आदेश पारित किये हैं, जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

(8) इस न्यायालय के समक्ष अभिलेख पर उपलब्ध रिकार्ड अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 15–7–2009 एवं पारित आदेश दिनांक 24–4–13 तथा उक्त प्रकरण में अनावेदक का पुनर्विलोकन को निरस्त किये जाने तथा कलेक्टर के आदेश दिनांक 21–12–09 को निरस्त किये जाने तक की 5 वर्ष की युक्तियुक्त अवधि में अनावेदक द्वारा उसके पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत न किये जाने के कारण रिकार्ड पर उलब्ध दस्तावेजों के

अवलोकन के पश्चात अनावेदक का मात्र खसरे की प्रविष्टि पर त्रुटिवश नाम आ जाने से उसे शुद्ध किये जाने के आदेश पारित किया गया है, जो पूर्ण रूप से विधिसम्मत है । अनावेदक के पास (अ) कोई रजिस्टर्ड विक्रय पत्र नहीं है (ब) कोई दान गिफ्ट नहीं है । (स) कोई बटवारा विलेख होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता क्योंकि बंटवारा भाई--भाई तथा पिता--पुत्र के मध्य संयुक्त संपत्ति पर होता है, चाचा--भतीजे के मध्य बटवारा नही होता है ।

(9) अनावेदक मात्र अभिलेख में हुई त्रुटि को आधार बनाकर आवेदक को बिना किसी विधि के प्रताड़ित कर रहा है । आवेदक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 1978 के माध्यम से प्रश्नाधीन भूमि का स्वामित्व व आधिपत्य प्राप्त स्वामी है, जिसमें आयुक्त द्वारा पारित आदेश के पैरा 3 की पांचवी लाईन मे बटवारे में प्राप्त हुई भूमि का उल्लेख है । उसकी आजी मां का नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज रहा है, ऐसी स्थिति मे आवेदक के चाचा और भतीजे के मध्य बटवारे का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता । यदि मां की भूमि है तो अवधनारायण 4 भाई है, उनके मध्य होना था । यहां यह स्पष्ट करना उचित होगा कि आवेदक के साथ उसकी आजी मां का नाम दर्ज है, और फिर जो भी स्थिति है, किसी आदेश से ही अनावेदक का नाम दर्ज होना था, जो अभिलेख से प्रमाणित त्रुटि प्रविष्टि में होना पाई गई है ।

2/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :-

(1) आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 6-11-2012 के विरूद्ध आवेदक अनूप कुमार दुबे द्वारा इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 19-6-2013 को पुनरीक्षण याचिका संहिता की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की है, जबकि कथित पुनरीक्षण याचिका में दिनांक 27-5-2013 अंतिम पेज पर टाईप कर टंकित की गई है । इस तरह करीब 7 माह उपरांत यह पुनरीक्षण याचिका अत्यन्त विलंब से प्रस्तुत की गई है । आवेदक ने पुनरीक्षण याचिका विलंब से प्रस्तुत करने के संबंध में धारा 5 परिसीमा अधिनियम का कोई आवेदन पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है ।

(2) संहिता की धारा 113 के आज्ञापक प्रावधान के अनुसार हितबद्ध पक्षकार यह स्वीकार करे कि अधिकार अभिलेख में त्रुटि हुई है और उसे ठीक करने हेतु हितबद्ध पक्षकार सहमत

है, तब ही संशोधित किया जा सकता है । विवादित प्रकरण में आवेदक अनूप कुमार द्वारा अभिलिखित भूमिस्वामी हितबद्ध पक्षकार अवधनारायण दुबे को अनुविभागीय अधिकारी होशंगाबाद के न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया है, और मूल आवेदन पत्र में अवध नारायण दुबे पक्षकार नहीं होने के कारण से उनके द्वारा कोई स्वीकारोक्ति अभिलेख की शुद्धि के संबंध में नही दी गई है । विधि के स्पष्ट प्रावधान के बावजूद आवेदक अनूप कुमार दुबे द्वारा छल-कपट एवं धोखाधडी पूर्वक सच्चाई को छुपाते हुए अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में संहिता की धारा 113 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अनुविभागीय अधिकारी, होशंगाबाद द्वारा आदेश पारित कर अनुप कुमार एवं मृत चन्द्रभागा बाई का नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया है ।

(3) अनुविभागीय अधिकारी, होशंगाबाद द्वारा जो आदेश पारित किया गया वह संहिता की धारा 113 में वर्णित प्रावधान के विपरीत था, लेकिन कलेक्टर होशंगाबाद द्वारा अनावेदक कमांक 1 की ओर से प्रस्तुत अपील में इस बात पर विचार नहीं किया गया और मनमाने तरीके से अपील खारिज की गई, जिसके फलस्वरूप आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जो स्वीकार की गई । अनावेदक अवधनारायण दुबे द्वारा जो अपील प्रस्तुत की गई उसमें विभिन्न आधार पर विचार करने के उपरान्त आयुक्त द्वारा प्रकरण की पूर्ण विवेचना करके आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी तरह के हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नही है ।

(4) आवेदक की ओर से इस न्यायालय के समक्ष जो लिखित तर्क प्रस्तुत किये गये है उनमें विधि से संबंधित किसी बात का उल्लेख नहीं किया गया बल्कि तथ्यों के संबंध मे ज्यादा बाते उल्लेखित की है। पुनरीक्षण याचिका का निराकरण करते समय मात्र विधि की त्रुटि को देखा जाता है । पुनरीक्षण याचिका में एवं लिखित तर्क में आवेदक द्वारा एक साथ दो अलग-अलग न्यायालयों के दो अलग अलग आदेशों को चुनौती दी गई है, जबकि विधि अनुसार इस तरह चुनौती नहीं दी जा सकती है, जिसके फलस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका सारहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

(5) आवेदक ने दिनांक 28-5-2013 को ग्राम बम्हनगांव कला तहसील होशंगाबाद की संशोधन पंजी कमांक 2 में पारित आदेश दिनांक 27-11-1988 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी होशंगाबाद के न्यायालय में संशोधन पंजी की फोटो प्रति संलग्न कर अपील प्रस्तुत

की थी, जिसे प्रकरण क्रमांक 78/अपील/2012-14 पर दर्ज किया गया । उक्त अपील प्रकरण में अनावेदक अवध नारायण की ओर से तर्क प्रस्तुत किये गये । अनुप कुमार ने अपील के साथ संहिता की धारा 48 संहिता का आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया और संशोधन पंजी की प्रमाणित प्रतिलिपि के बगैर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त नहीं की ।

(6) आवेदक ने संशोधन पंजी क्रमांक 2 में पारित आदेश दिनांक 27-11-1988 के विरूद्ध करीब 25 वर्ष पश्चात मनमाने तरीके से कथित अपील प्रस्तुत की है । उक्त अपील में धारा 5 परिसीमा अधिनियम का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है । इस तरह आवेदक अनूप कुमार ने अत्यधिक विलंब से अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिस पर उभयपक्षों के तर्क श्रवण करने के उपरान्त दिनांक 18-6-2014 को अनुविभागीय अधिकारी होशंगाबाद द्वारा अंतिम आदेश पारित कर अपील निरस्त कर दी गई है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्को में उठाये गये आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । उभय पक्ष के अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क मे आयुक्त के आदेश में विधिक त्रुटि होने संबंधी उठाए गए आधार विचार योग्य नहीं हैं, क्योंकि आवेदक की ओर से इस न्यायालय में अनुविभागीय अधिकारी के अंतरिम आदेश दिनांक 24-4-2013 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई है, और इस निगरानी में यही आदेश विचारणीय है । यद्यपि आवेदक की ओर से निगरानी मेमों के अंत में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 24-4-2013 एवं आयुक्त के आदेश दिनांक 6-11-2012 को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है, परन्तु निगरानी मेमों के प्रथम पैराग्राफ मे स्पष्टतः इस आशय का उल्लेख किया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 24-4-2013 को आदेश पारित किया गया है, और प्रकरण में विवादित संपत्ति उत्तरवादी के नाम दर्ज किए जाने के आदेश दिये गये हैं, जिसकी अपील नहीं हो सकती है, इसलिए यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की जा रही है । इसके अतिरिक्त यदि यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त द्वारा पारित दोनों आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत की जाना मान्य की जाये, तब आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई है, और आवेदक की ओर से अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत विलम्ब क्षमा हेतु कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, इस कारण

भी इस बात की पुष्टि होती है कि यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के अंतरिम आदेश दिनांक 24–4–2013 के विरूद्ध ही प्रस्तुत की गई है, वैसे भी दो आदेशों के विरूद्ध एक निगरानी प्रचलन योग्य नहीं है । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को ही विचार क्षेत्र में लिया जाकर निगरानी का निराकरण किया जा रहा है । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस आशय का निष्कर्ष निकालते हुए कि चूंकि आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एवं कलेक्टर के आदेश निरस्त कर दिये गये हैं, ऐसी स्थिति में रिकार्ड को पूर्व की स्थिति में लाया जाना न्यायोचित है, अभिलेख को पूर्व की स्थिति में लाये जाने के आदेश दिये गये हैं, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । इस संबध में आवेदक के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क मान्य किए जाने योग्य नहीं है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिना उसे सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर दिये आदेश पारित किया गया है, क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदक एवं उसके अधिवक्ता पेशियों पर उपस्थित हुए हैं । यहां महत्वपूर्ण विचारणीय बिन्दु यह है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्पष्टतः आदेश दिये गये हैं कि अनावेदक भूमि के स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन अथवा भूमि का विक्रय/रहन आदि नहीं करेंगे । अतः अभिलेख में पूर्व की स्थिति कायम होने मात्र से आवेदक को किसी प्रकार की अपूर्णीय क्षति होना भी परिलक्षित नही होता है, क्योंकि अनावेदक न तो भूमि के स्वरूप में परिवर्तन कर सकता है, और न ही उसका अंतरण कर सकता है । दर्शित परिस्थितियों में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–4–2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर